न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 214 / 2022 प्रार्थनापत्र

1. जगुराम पुत्र श्री गणेश दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी— चितामभ्बा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. रामेश्वर लाल पुत्र श्री छोगा लाल जाति सोनी आयु वयस्क निवासी— चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. सुवा लाल पुत्र श्री मूला सुथार आयु वयस्क निवासी— चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. भैरू नाथ पुत्र श्री भोलानाथ जाति योगी आयु वयस्क निवासी— चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा— 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—
1. श्री मुकेश कुमार तंवर —अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता—विपक्षी

:: **निर्णय** :: दिनांक— 16.06.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि सरहद ग्राम चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 179, 533,693 , 395 की आराजी नम्बर 1078 / 5, 1075 / 1, 1075, 1078 / 1, 1088 / 1 स्थित होकर खातेदारी के रूप मे कब्जा कायम करके कृषि काश्त मे उपयोग व उपभोग मे ली जा रही है। प्रार्थी की कृषि आराजिया तमे जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 179, 533, 693, 395 के आराजी संख्या 1078 / 5, 1075 / 1, 1075, 1078 / 1, 1088 / 1 है, जो कि प्रार्थीगण के खातो मे बटवारा के समय मौके पर कब्जे अनुसार सभी बटवारा होकर काश्त करते आ रहे है , परन्तु विभाग की गलती से नक्शे मे तरमीम के दौरान सभी काश्तकारो की आराजियात मे रकबा बराबर बराबर नही होकर सभी के अलग अलग रकबा तरमीम हो गया है, जबकि मोके पर व जमाबंदी नकल मे रकबा सही है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त गलत तरमीम की जानकारी होने पर विपक्षी को पटवार हल्का के राजस्व नक्शे अनुसार ऑन लाईन नक्शे मे तरमीम करने हेतु निवेदन किया, जिस पर विपक्षी द्वारा सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने आदेश लाने की बात कही गयी। न्यायहित मे गलत तरमीम को दुरूस्त कर कब्जे अनुसार तरमीम करायी जाना आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व विपक्षी को नोटिस जारी किया गया व विपक्षी द्वारा मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा पेश की गयी, जिसे शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए जमाबंदी मे दर्ज रकबे अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं दस्तावेजात रेकार्ड का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व नक्शे मे जमाबंदी के अनुसार रकबा कमी बेशी तरमीम है, मौका पर्चा रिपोर्ट मे उल्लेखितानुसार उक्त आराजियात को राजस्व नक्शे मे कमी बेशी रकबे को जमाबदी के रकबे अनुसार तरमीम कराया जाना उचित है। अतः पटवार हल्का के मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की भूमि राजस्व नक्शे मे तरमीम नही होने से पक्षकारो के हितो पर विपरीत प्रभाव नही पडेगा। अतः मौका रिपोर्ट मे वर्णितानुसार तरमीम

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

करवाया जाना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर सरहद ग्राम चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 179, 533,693 , 395 की आराजी नम्बर 1078/5, 1075/1, 1075, 1078/1, 1088/1 को राजस्व जमाबंदी मे दर्ज रकबे अनुसार राजस्व नक्शे मे पटवार हल्का मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे अनुसार व वर्णितानुसार कमी बेशी रकबा पूर्ण कर तरमीम की जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर मय पटवार हल्का नक्शा जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। मौका नक्शा की प्रति संलग्न है।

यह आदेश आज दिनांक 16.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)